**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE**
**FORM –'D'**
**REJECTION ORDER**
**(See Rule 4(2))**

**No.RTIA/JR(M)-HCIND/** 1980 **Indore, Dated 24.12.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री मोहम्मद शहजाद पिता मोहम्मद हनीफ,
पता– तैय्यब अली मार्ग, वार्ड नं.27, दाउदपुरा,
जिला–बुरहानपूर (म.प्र.) पिन नं–450331
मोबाईल नंबर–9907789278

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1920 दिनांक 17/12/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 33/2020–2021 दिनांक 17.12.2020 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित सूचना के अधिकार आवेदन पत्र जो कि High Court of M.P. (Right to Information) Rules, 2006 के नियम 7 (2) के Proviso के गरीबी रेखा के नीचे अनुक्रमांक 31440 वर्णित करते हुए आवेदन किया है, के अनुसार निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :–

**"प्रकरण क्रमांक MP/838/2018 (अब्दुल रहमान व अन्य V/s. M/s. सार्थक रियल बिल्ट प्रा॰लि॰ वगैरह) प्रकरण की सम्पूर्ण आदेशिकाए, की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपिया हिन्दी मे देने बाबद"**

उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम अनुसार एक नागरिक आवेदक को फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है।
2. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

**सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।**

24.12.2020

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर